<u>संचिका संख्या : 926/4/36/2022</u>

<u>दिनांक : .22.06.2022</u>

दिनांक 23.02.2022 के आदेश के द्वारा जिला पदाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक से निम्नलिखित कागजातों की की मांग की गई थी।

.1. **Inquest Report, 2. Postmortem Report with CD,3.Histopathological Report., 4.Final Casue of death report, 5.Medical Treatment Report, 6. Magisterial Enquiry Report.** जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी के पत्र के साथ निम्नलिखित कागजातों की प्रति उपलब्ध कराई गई है।

1. **Inquest Report, 2. Detail Report** की प्रति 3. **Postmortem Report** की प्रति 4. जप्ती सूची की प्रति।

परन्तु 1. **Histopathological Report., 2.Final Casue of death report, 3. Magisterial Enquiry Report** की प्रति एवं **Medical Treatment** रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। परन्तु संचिका के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से पत्र प्राप्ति के बाद इस संबंध में संज्ञान दिनांक 22.02.2022 के द्वारा लिया गया जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्राप्त पत्र की प्रति से यह प्रतीत होता है कि इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ,द्वारा दिनांक 08.02.2022 को संज्ञान लिया गया है जो राज्य आयोग के संज्ञान के लेने के पूर्व है।

अतः चुंकि राज्य आयोग के द्वारा इस विषय में संज्ञान लेने के पूर्व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा संज्ञान लिया जा चुका था और वह अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष लंबित है।

अतः धारा 36(1) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को ध्यान में रखते हुए इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है। आदेश की प्रति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उनके रजिस्ट्री के माध्यम से सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson